

# अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

## उनवान

1. ओमप्रकाश दवे पिता ललित नारायण दवे निवासी 22 न्यू गणेशनगर, रूपसागर रोडा उदयपुर।

.....वादी

## बनाम

1. गोमा पिता गमेरमल सुनार निवासी सालेराकलां तहसील, मावली।  
1/1 छगनलाल पिता गोमा सुनार निवासी सालेराकलां तहसील, मावली।  
1/2 सुखीबाई पत्नी गोमा सुनार निवासी सालेराकलां तहसील, मावली।
2. लेहरीबाई पत्नी टोडामल सुनार (तर्क किया)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली तहसील, मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 213/24 (वाद) जीसीएमएस : 2024/477

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-  
वाद वादी अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा सालेराकलां पटवार हल्का सालेराकलां तहसील, मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 105, 106 पर दर्ज आराजियात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टे.)	किस्म	लगान
1.	ओमप्रकाश पुत्र ललितनारायण दवे निवासी मकान संख्या 22, कॉलोनी न्यू गणेशनगर, उदयपुर शहर उदयपुर खातेदार	361 मी.	0.4573	बा.प्र.	0.51
	योग	किता-01	0.4573		0.51
2	गोमा पुत्र गमेरलाल हिस्सा 4573/13719 सुनार सा. देह खातेदार लेहरी पत्नी टोडामल हिस्सा 361/2 9146/13719 सुनार सा. देह खातेदार	361/1 361/2 363	0.4109 0.0140 0.9470	बा.प्र. बा.प्र. बा.प्र.	0.46 0.01 1.05
	योग	किता-03	1.3719		1.52

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.03.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)  
सहायक कलक्टर (SDO) मावली  
जिला उदयपुर

